



2026:AHC:173508

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27217/2026

दीवान

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : मोहम्मद आबिद अली, शान एमडी
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : दिवाकर कुमार तिवारी, जी.ए.,
मिथिलेश कुमार ओझा

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. हालांकि, जमानत याचिका के साथ संबंधित न्यायालय द्वारा पारित जमानत अस्वीकृति आदेश की मुफ्त प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गई है, लेकिन आज दायर किए गए पूरक हलफनामे में आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जा रही है।
3. दोहरे पुकार में भी सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
4. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद आबिद अली और राज्य के विद्वान एजीए श्री आरएन श्रीवास्तव की बात सुनी।
5. यह जमानत याचिका मामले अपराध संख्या 337/2025, धारा 137(2), 103(1), 238(क), 61(2)क बीएनएस, पुलिस स्टेशन धनारी, जिला संभल में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
6. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है, लेकिन आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और इस मामले की एफआईआर उसके भाई धनवीर के खिलाफ दर्ज की गई थी और जांच के दौरान उसे भी लापरवाही से इस मामले में फंसा लिया गया है।
7. आगे उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, 58 दिनों के बाद जब गवाहों के बयान दर्ज किए गए, तब उन्होंने बताया कि आवेदक अपने भाई धनवीर और पिता के साथ धनवीर को सौंपने के लिए उनके सामने आया था और केवल इसी आधार पर उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त गवाहों के बयानों से प्रथम दृष्टया इस मामले में आवेदक की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आगे वह कहता है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार जब आवेदक को गिरफ्तार किया गया था तब उसके कब्जे से सह-आरोपी धनवीर की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, लेकिन चूंकि आवेदक सह-आरोपी धनवीर का सगा भाई था, इसलिए यह कोई दोष सिद्ध करने वाली परिस्थिति नहीं हो सकती।
9. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में धनवीर का मृतक की बहन के साथ संबंध था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों ने उन्हें देख लिया था, इसलिए उसने उन्हें मार डाला और इसलिए कथित अपराध करने का मकसद भी केवल सह-आरोपी धनवीर, यानी आवेदक के भाई के खिलाफ ही था।
10. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक सह-आरोपी धनवीर का सगा भाई है, जो मुख्य आरोपी था, इसलिए जांच के दौरान आवेदक को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
11. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 18.03.2026 से जेल में है।
12. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध तो किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
13. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।
14. हालांकि, यह दोहरे हत्याकांड का मामला है, लेकिन आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और वर्तमान मामले की एफआईआर सह-आरोपी धनवीर के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो आवेदक का भाई था। इससे पता चलता है कि 58 दिन बाद आवेदक को चार गवाहों के बयानों के आधार पर इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जिन्होंने कहा कि आवेदक अपने पिता नेत्रपाल और सह-आरोपी धनवीर के साथ नामजद धनवीर के आत्मसमर्पण के लिए आए थे और इससे यह भी पता चलता है कि केवल उपरोक्त आरोप के आधार पर ही उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया है। न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में दम पाता है कि केवल उपरोक्त बयानों के आधार पर इस मामले में आवेदक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता सिद्ध नहीं की जा सकती।
15. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अनुसार जब आवेदक को गिरफ्तार किया गया था, तब उसके पास से सह-आरोपी धनवीर की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, लेकिन चूंकि सह-आरोपी धनवीर उसका सगा भाई था, इसलिए यह आवेदक के खिलाफ दोष साबित करने वाली परिस्थिति नहीं हो सकती।
16. इसके अलावा, भले ही यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला हो और अपराध करने का मकसद आवेदक के खिलाफ नहीं बल्कि सह-आरोपी धनवीर के खिलाफ था, जो आवेदक का भाई है। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक अपने भाई धनवीर के साथ इस अपराध में शामिल था। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चूंकि आवेदक सह-आरोपी धनवीर का सगा भाई है, जो मुख्य आरोपी प्रतीत होता है, इसलिए जांच के दौरान उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया गया हो।
17. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है और वर्तमान मामले में वह 18.03.2026 से जेल में है।
18. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।
20. आवेदक **दीवान** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
21. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
22. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14 अगस्त, 2026
शाहरोज

(न्यायमूर्ति समीर जैन)